उद्योग निदेशालय के मुख्य कार्यः

1. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन।
2. औद्योगिक नीति के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को समय–समय पर समुचित प्रस्ताव एवं सुझाव प्रस्तुत करना।
3. उद्योग क्षेत्र, जिनमें ग्रामीण एवं लघु उद्योग, हथकरघा, खनन और बृहत उद्योग सम्मिलित हैं, के विकास हेतु वार्षिक व पंचवर्षीय योजनायें तैयार कर योजना आयोग के स्तर पर प्रस्तुतिकरण।
4. उद्योग निदेशालय, भूतत्व व खनिकर्म, राजकीय मुद्रणालय, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, सिडकुल तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के कार्यों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना, अनुमोदित बजट प्रस्तावों पर शासन से जारी स्वीकृतियों का निर्गमन तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित करना।
5. एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था का क्रियान्वयन।
6. राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के सचिवालयी कार्य।
7. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के प्राविधानों का क्रियान्वयन, इस हेतु दिशा–निर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण।
8. उद्यमिता विकास।
9. पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का ऑकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा अनुप्रेषण।
10. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
11. विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) एवं विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
12. औद्योगिक विकास हेतु समन्वित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे

सिडबी, एन0एस0आई0सी0, यू0एन0डी0पी0, नाबार्ड, सी0जी0एफ0टी0आई, से समन्वय तथा उनकी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।

13. मेला/प्रर्दशनी/शो–रूम आदि के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का विपणन प्रोत्साहन।

14. विभिन्न लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग कलस्टरों हेतु समन्वित विकास के कार्यक्रम।

15. औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को विभिन्न सहूलियतों, सहायताओं, सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

16. दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 का क्रियान्वयन।

17. औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं, जटिलताओं का निराकरण करना।

18. स्थापित उद्योगों, विशेष रूप से ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता।

19. औद्योगिक, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।

20. रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुर्नवासन का प्रयास।

21. विभिन्न शोध–विकास संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश के औद्योगिक विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।

22. उद्योग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास।

23. औद्योगिक श्रमिकों/प्रबन्धकों के लिए प्राथमिक जागरूकता हेतु समबन्धित संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

24. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का क्रियान्वयन।